गदपुरी टोल महापंचायतों के नाम पर हुए समझौते पर प्रश्न चिन्ह

हाईकोर्ट ने टोल कंपनी को नोटिस जारी किया

याचिकाकर्ता करन सिंह दलाल

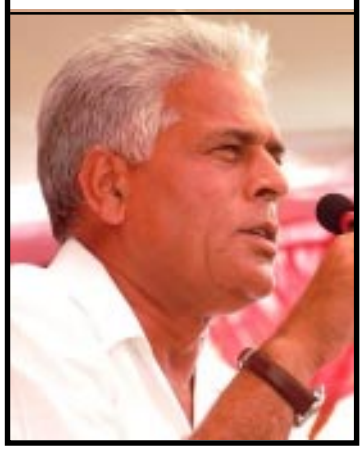

टोल के गद्दार नेता

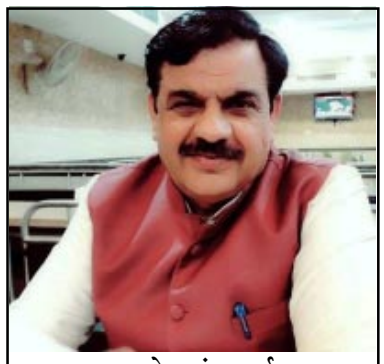

टेकचंद शर्मा

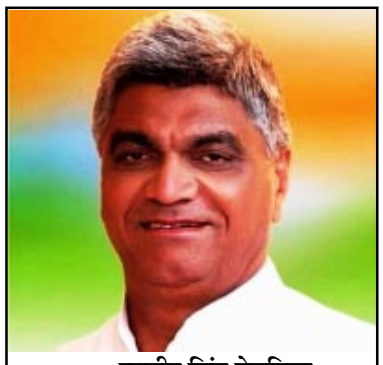

रघुवीर सिंह तेवतिया

जगन डागर

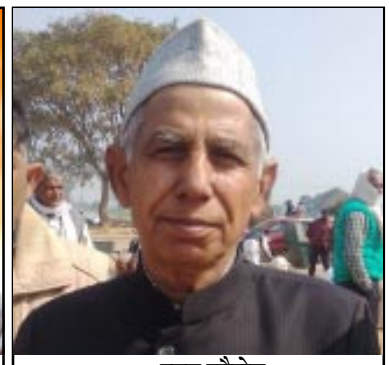

रतन सौरोत

पलवल (म.मो.) भाजपा सरकार द्वारा टोल के नाम पर जनता को लूटने की साजिश का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान और चार गद्दार पंचायत प्रतिनिधियों के नमूनों पर पानी फेर दिया। देश भर में सड़कों का जाल बिछाने के नाम पर जिस तरह से देश भर की तमाम सड़कों को बेचा जा रहा है, इतिहास में इसका कोई उदाहरण नहीं है। फ़िर भी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की दुहाई दी जा रही है। नियम तो यह हुआ करता था कि कोई कम्पनी किसी नई सड़क अथवा पुल आदि का निर्माण करने के बाद एक तय समय में अपनी निर्माण लागत वसूल करके सड़क व पुल को टोल से मुक्त कर देगी।

लेकिन अब तो केवल और केवल लूट के इरादे से बनी बनाई सड़कों को सरकार अपने चहेतों को दान में दे रही है। उनको चौड़ा करने अथवा कुछ बेहतर करने के करार मात्र से ही कम्पनी को टोल के रूप में जनता को लूटने का परमिट जारी कर देती है। कायदे से इस दिल्ली-आगरा राजमार्ग का निर्माण कार्य का जो ठेका अनिल अम्बानी को दिया गया है, उसे तमाम काम पूरा होने के बाद वसूली करने का अधिकार मिलना चाहिये था। लेकिन अपने राजनीतिक प्रभाव एवं लूट में राजनेताओं की भागीदारी के चलते अनिल अम्बानी बीते करीब 12 साल से टोल के नाम पर लूट मचाये हुये है और जिस गति से काम चल रहा है आगामी 10 साल तक काम पूरा होने के आसार नजर नहीं आते।

टोल बूथ की एक शर्त यह भी है कि एक बूथ से दूसरे बूथ के बीच कम से कम 60 किलो मीटर का फासला होना चाहिये। गदपुरी टोल का फासला होडल वाले बूथ से मात्र 42 किलो मीटर का ही है और बदरपुर वाले से 31 किलोमीटर है। इसके अलावा पलवल शहर के बीचो-बीच बनाई गई एलीवेटेड सड़क 6 लेन की बजाय 4 लेन की ही है। दूसरे, बल्लबगढ़ का पुराना रेलवे ओवरब्रिज भी 6 लेन का बनाया जाना था, जिसका काम भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसके अलावा जो अंडरपास बनाने थे वे भी नहीं बनाये। जानकार बताते हैं कि अम्बानी का इरादा ये सारे काम किये बगैर ही निकल लेने का है।

अब समझने वाली बात यह है कि इतना बड़ा कानूनी हथियार होने के बावजूद भी महापंचायत आयोजित करने वाले चार बड़े नेताओं ने टोल कम्पनी के आगे घुटने कैसे टेक दिये, घुटने ही नहीं बिल्कुल ही लमलेट कैसे हो गये? क्या उन्हें अपनी इस लड़ाई के पीछे कानूनी वैधता नज़र नहीं आ रही थी? अगर वे लोग इतने ही खोखले थे तो टोल हटाने की नौटंकी करने की आवश्यकता ही क्या थी? ऐसे में यदि लोग उन पर ले-दे कर समझौता करने का आरोप लगाते हैं तो क्या गलत है?

किसी भी संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाली सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इतनी न्यायसंगत मांग के लिये जनता को सड़कों पर उतरने के लिये मजबूर न होने दे। अव्वल तो सरकार को स्वत: ही इस टोल नाके को बनने नहीं देना चाहिये था। यदि किसी वजह से चुपचाप बनने भी दिया जा रहा था तो जनता की आवाज को सुन कर अपनी गलती सुधार लेनी चाहिये थी। इस काम के लिये किसी को न्यायपालिका तक जाने की नौबत नहीं आनी चाहिये थी। मजबूर होकर पलवल के पूर्व विधायक एवं मंत्री कर्ण दलाल को हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। इस पर माननीय कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रिलायंस, क्यूब कंपनी तथा डीए टोल कंपनी को नोटिस जारी कर 30 नवम्बर तक जवाब मांगा है।

यद्यपि न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस अवधि में टोल की लूट जारी रहेगी या बंद कर दी जायेगी? यदि भाजपा सरकार ने थोड़ी बहुत गैरत बाकी है तो उसे यह टोल तुरन्त से पहले हटा लेना चाहिये।

अवैध नशे के व्यापार का गहरा असर पड़ रहा सामाजिक रिश्तों पर

श्याम लाल, एसजीएम नगर

फ़रीदाबाद। 12 अगस्त को करीब एक से डेढ बजे रात के समय घर के बाहर कुछ हल्ला हुआ। उस वक्त मैं सोया नहीं था, अपने घर पर कुछ काम कर रहा था। अचानक हल्ला सुनकर मैने बाहर जाकर देखा तो मेरे घर से कुछ दूरी पर एक राशन की दुकान है और उनका घर भी वहीं है। उस समय दुकान और उनका घर दोनों बंद थे। वहां एक व्यक्ति नीचे से दुकानदार को बहुत ही अभद्र भाषा में गाली-ग्लौज कर रहा था और उनके बच्चे उससे पूछ रहे थे कि गालियां क्यों दे रहा है? फ़िर भी वो आदमी लगातार गालियां देते ही जा रहा था और आक्रोश में कह रहा था कि नीचे नहीं आयेगा तो पत्थर उठाकर मारुंगा।

यह सिलसिला करीब आधा-पौन घंटा तक चलता रहा। कुछ देर बाद उस गुंडे के और भी दोस्त वहां आ गये। दोस्तों द्वारा पूछने पर कहा कि यार इन लोगों ने मेरे खिलाफ़ पुलिस में शिकायत किया है और इससे मेरा काफ़ी नुक्सान हुआ है। यह सुनते ही सारा मामला मेरे समझ में आ गया।

बात ये थी कि जो व्यक्ति नीचे से गाली दे रहा था वो अवैध शराब का धंधा करता है। कुछ दिन पहले पुलिस ने उसके घर दिखावटी छापेमारी की थी जिसके कारण

वह काफ़ी गुस्से में था। वो बोले जा रहा था कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, मेरा न तो पुलिस वाले कुछ बिगाड़ सकते न ही तुम लोग। पुलिस वाले को तो में खिला-पिला कर सेट कर लूंगा और बात रही उस मुखबर की, जिस दिन मुझे उसका नाम मालूम हो गया उसी दिन उसे जान से मार दूंगा। इसके अलावा जो लोग उसके साथ मिले हुए हैं उनकी भी खैर नहीं।

जिस तरह से वो आदमी गुंडागर्दी की भाषा बोल रहा था उससे यही अस्पष्ट होता है कि उसके लिये किसी आदमी को मार-पीट कर हाथ-पैर तोड़ देना आम बात है। कारण यह है कि इन लोगों को पुलिस के अलावा विधायकों व उद्योगपतियों का भी सहयोग है। जिसके बदौलत लड़ाई-झगड़े करके निपट लेते है, ऐसे इन लोगों में इतनी हिम्मत न होती। आम आदमी तो बिना किसी गलती के पुलिस के नाम से घबड़ा जाता है और गुनाह करने की बात तो दूर।

जिन दुकान वाले अंकल को वो व्यक्ति गालियां दे रहा था उनसे मेरी अच्छी जान-पहचान है। उनके सामने ही मेरा जन्म हुआ है और वो अंकल मेरे पिता के समान हैं। मैं बराबर उनकी दुकान पर जाकर बैठता हूं और काफ़ी देर तक बातें करता हूं। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता।

मैं चाहता हूं कि अपनी कॉलोनी में इस तरह से नशे का व्यापार बंद हो, क्योंकि जो लोग यहां शराब लेने आते हैं वो खुले में ही बैठकर पीने लगते हैं। यहां शराब के कारण लड़ाई-झगड़े के अलावा और भी कई तरह की समस्यायें होती रहती हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिये अच्छी बात नहीं है। चाहे वो समाज गरीब तबके का क्यों न हो?

मेरी सोच और स्वभाव के बारे में उन लोगों को पता है। पुलिस ने जो इनके घर छापेमारी की है इसके बारे में इन्हें मेरे ऊपर शक है। ऐसा किसी परिचित ने मुझसे बताया। जिस दिन उसके घर पुलिस ने छापा मारी की थी उस दिन पुलिस वालों ने दुकान वाले अंकल से पूछा था कि यहां शराब की अवैध बिक्री होती है? इन पुलिस वालों को लोग भली-भांति जानते हैं कि ये किसी के सगे नहीं होते। एक जानकारी लेकर छापा तो मार देते हैं और जानकारी किसने दी ऐसा बता कर अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। इसलिये इनके चक्कर में कोई फंसना नहीं चाहता।

इस घटना से पहले मैं जब कभी दुकानदार अंकल के पास से गुजरता था तो मुझे रोक कर अपने पास बैठने को बोलते थे। इससे मुझे अपनापन सा लगता था। उस रात के बाद अगले दिन शाम को जब मैं उनके पास जाकर नमस्ते किया और कुर्सी पर बैठने लगा तो उन्होंने कहा, कि यहां मत बैठो और यहां से जाओ। मैने पूछा क्यों? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहां से वापस आ गया। मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, न जाने ऐसे अनेकों रिश्तों खराब होते हैं इन अवैध नशे के व्यापार के कारण।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।